

बी०पी० सिंह (भा०व०से०), निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 03.03.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित टैटूणा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या —

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.03.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज, गैरसैंण मौके पर उपस्थित रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया:—

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षण:—

उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के पत्रांक 3494/12-1, दिनांक 25.02.2021 द्वारा अवगत किया गया कि दिनांक 22.02.2021 को पी०एम०जी०एस०वाई०, गैरसैंण, वन विभाग के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मार्ग के स्थलीय निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। परन्तु वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा चयनित प्रस्तावित संरेखण में ही मोटर मार्ग निर्माण का अनुरोध किया गया। मौका निरीक्षण एवं प्रस्ताव के अनुसार वैकल्पिक संरेखण की स्थिति निम्नवत् है।

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले बांज के वृक्षों की संख्या 125 है। जबकि प्रस्तावित संरेखण में बांज वृक्षों की संख्या 48 है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में प्रतिबन्धित बांज के वृक्षों का पातन होगा।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण:—

1. प्रस्तावित संरेखण में विभिन्न व्यास वर्ग में बांज के 48 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
2. इस संरेखण से ग्राम टैटूणा एवं नैणी के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा होगी।
3. यह संरेखण भू-वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।

अतः इस मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।

P.T.O.

2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 1946

/ 12-1

दिनांकित। 04-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।
- 2:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
- 3:- आवासीय अभियन्ता, ब्रिडकुल- पी०एम०जी०एस०वाई०, पी०आई०यू गैरसैंण।

(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित टैटूणा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 03.03.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज, गैरसैण मौके पर उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर इस मोटर मार्ग का अन्य वैकल्पिक संरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 04-03-2021

स्थान- गोपेश्वर।

(बी0पी0 सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।